...ालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ा–पत्र संख्या :–127 / 2021 दायर दिनांक– 24.08.2021
...MS NO:- 2021/243 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

वेदप्रकाश वर्मा आ0 रामदेव जाति रैगर नि0 रैगर कॉलोनी दुगारी तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता की ग्राम दुगारी तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 647 की खसरा संख्या 1263 रकबा 0.7847 हैक्टयर भूमि स्थित है।

यह कि प्रार्थी की भूमि पर आस पास के खेत वाले सीमाओं को लेकर विवाद करते है तथा प्रार्थी की भूमि की मेरों को फाडते है। प्रार्थी के पिता का देहावसान हो चुका है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है ताकि अनावश्यक विवाद पैदा नही हो सकें।

यह कि विवादित भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पूर्व मे प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत् प्राप्त हुई थी जो अस्पष्ट पाये जाने से पुनः तहसीलदार नैनवॉ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 30.08.2022 से पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की आपत्ती पर पक्षकारान की उपस्थिति मे रिपोर्ट बनवाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार नैनवॉ को पुनः रिपोर्ट करने हेत लिखा गया। जिस कम मे तहसीलदार नैनवॉ से रिपोर्ट दिनांक 15.05.2023 प्राप्त हो चुकी है।

वहस सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम दुगारी स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1263 रकबा 0.7847 की पत्थरगढी करवायी जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को विचाराधीन हुए लगभग 4 वर्ष को समय हो चुका है।

आज दिनांक 26.6.2025 को की गयी एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र, पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो एवं तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट्स का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये लगभग 4 वर्ष का समय होने वाला है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम दुगारी के खसरा नम्बर 1263 रकबा 0.7847 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा